

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग

पत्रांक : 1499/14-1 दिनांक (कैम्प चन्दौसी)

दिनांक - 7/4/17

सेवा में,

मण्डलीय प्रबन्धक
एस्सार आयल लि०
ए-5 सेक्टर-3 नोएडा।

विषय - सम्मल में आगरा-मुरादाबाद मार्ग (एन०एच०-93) कि०मी० 146 की वायी पटरी पर ग्राम रसूलपुर के खसरा संख्या 149 में एस्सार आयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच-अलीगंज लखनऊ का पत्रांक संख्या 8बी/यू०पी०/०६/56/2016 /एफ०सी०/594 दिनांक 28.03.2017 ।

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तल सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ द्वारा सम्मल में आगरा-मुरादाबाद मार्ग (एन०एच० 93) कि०मी० 146 की वायी पटरी पर ग्राम रसूलपुर के खसरा सं० 149 में एस्सार आयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.2138 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 8 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न लिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 बर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) रू० 109680 की धनराशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जानी है।

2क. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन/सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य रू० 6.26 लाख प्रति हैक्टेअर की दर से रू० 1.34 लाख की धनराशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जानी है। प्राप्तता हेतु पेट्री के तालाफ से

ख. इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया होप्रेषित की जाय तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

ग. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम संरक्षक) प्रस्तुत करेगा कि यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के ओ (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रेश एवं निकास के बीच की (204 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं से संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जायेगा।

5. राज्य सरकार कॉलम 14 भाग -II आनलाईन में District Profile में वन क्षेत्रफल शून्य दर्शाया गया है, अतः प्रस्ताव के आनलाईन संस्करण में कॉलम 14 भाग - II आनलाईन में District Profile में संबंधित सही Data आनलाईन अपलोड करेगी।

6. राज्य सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम की Original Hard Copy Record हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सा0वा0 मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी गुन्नौर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग

पत्रांक : 1428/14-1 दिनांक (कैम्प चन्दौसी)
सेवा में,

दिनांक - 7/4/17

मण्डलीय प्रबन्धक

एस्सार आयल लि०

ए-5 सेक्टर-3 नोएडा।

- विषय -** सम्मल में मेरठ-सहसवान-बदायूँ मार्ग (एन०एच०-18) कि०मी० 150 की वायी पटरी पर ग्राम सराय ब्राहमन के खसरा संख्या 29 में एस्सार आयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 है० संरक्षित वन भूमि के विना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।
- संदर्भ -** भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तक सेक्टर एच-अलीगंज लखनऊ का पत्रांक संख्या 8बी/यू०पी०/०6/41/2016/एफ०सी०/558 दिनांक 21.03.2017 ।

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) केन्द्रीय भवन पंचम तक सेक्टर एच अलीगंज लखनऊ द्वारा सम्मल में मेरठ-सहसवान-बदायूँ मार्ग (एन०एच०-18) कि०मी० 150 की वायी पटरी पर ग्राम सराय ब्राहमन के खसरा संख्या 29 में एस्सार आयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 है० संरक्षित वन भूमि के विना वृक्ष पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्न लिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) रू० 109680 की धनराशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जानी है।

2क. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन/सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य रू० 6.26 लाख प्रति हैक्टेअर की दर से रू० 0.47 लाख की धनराशि कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जानी है।

ख. इसके उपरान्त जमा की गयी धनराशि की आनलाइन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन०पी०वी० हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो प्रेषित की जाय तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

ग. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम सक्षम) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन०पी०वी० की दर में वढोत्तरी होती है तो वढी हुई धनराशि प्रयोक्ता

अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3. विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के ओ (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोल पम्प में प्रेश एवं निकास के बीच की (232.44 वर्गमीटर) भूमि का उपयोग वृक्ष लगाने एवं संरक्षित करने में किया जायेगा एवं इसका सीमांकन 2 फीट ऊँची दीवाल बनाकर किया जायेगा।
- * 5. राज्य सरकार द्वारा वनाधिकार अधिनियम की Original Hard Copy प्रस्तुत करेगी।
- * 6. राज्य सरकार कॉलम 14 भाग -II आनलाईन में District Profile से संबंधित सही Data आनलाईन अपलोड करेगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक सा०वा० मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।
3. क्षेत्रीय वनाधिकारी गुन्नौर।

प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल